



2026:AHC-LKO:20199

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW**

CRIMINAL REVISION No. - 773 of 2024

Juvenile X Thru. His Brother Y

.....Revisionist(s)

Versus

State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Lko. And 3
Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s)	:	Bhoopal Singh, Manoj Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 13

HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard the learned counsel for the revisionist, the learned AGA for the State of U.P. as well as perused the record.

2. The instant revision has been preferred seeking following main relief(s):-

"WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set aside the impugned order dated 18.01.2024 passed by the Learned Additional District & Sessions Judge /Special Judge Pocso Bahraich, in Criminal Appeal No.48 of 2023 (Deepak Kumar Maurya versus State of U.P.& another) who has confirmed the order dated 06.06.2023 passed by the Juvenile Justice Board Bahraich without application of its judicial mind, and allow the revision of the revisionist in the interest of justice"

3. Vide order under challenge dated 06.06.2023, passed by the Juvenile Justice Board, Bahraich (in short "J.J.B.") in Miscellaneous Case No. 14/12A/2023 arising out of Case Crime No.394 of 2019, under Sections- 377 B.N.S and Section- 3/4 POCSO Act, Police Station- Motipur, District- Bahraich, the J.J.B. after considering the report signed by Alka Pandey, Clinical Psychologist and Dr. Vijit Jaiswal, Psychiatrist, observed that the trial of the revisionist should be conducted by the Children Court. The relevant portion of the order dated 06.06.2023 reads as under:-

"पत्रावली पेश हुयी। किशोर का जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ताएं व अभियोजन पक्ष की बहस सुनी गयी।

उपरोक्त वर्णित मामले में आवेदक / सरंक्षक भाई द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 07-04-2023 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कि दीपक कुमार मौर्या पुत्र स्व: नरायन सिंह निवासी खड़िया थाना मोतीपुर जनपद बहराइच मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में किशोर निर्दोष है उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है महज रंजिशन फंसा दिया गया है और कथन किया गया है कि किशोर को उचित जमानत मुचलका पर रिहा फरमाया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह आख्यों की गयी है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से आख्यों प्राप्त है कि अ०स० 394/19 धारा-377. भा०द०स० व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मोतीपुर में प्रार्थी / अपचारी निरुद्ध है यदि अपचारी रिहा होता है तो पुनः अपराधियों के संगत में पड़कर पुनः अपराध कर सकता है अतः जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध है।

जिला प्रोवेंशन अधिकारी ने अपनी आँखों में कथन किया है कि किशोर के ग्राम के लोगो ने बताया कि किशोर पीड़िता, के साथ दुराचार के मामले में लगभग 04 वर्षों से निरुद्ध है किशोर में अनुशासन की कमी एवं शिक्षा का अभाव प्रतीत होता है किशोर का कोई भी पूर्व का अपचारिता का इतिहास जानकारी में नहीं आया। किशोर से सामुदायिक कार्यों का लिया जाना तथा किशोर को शिक्षित कर, किशोर में सुधार लाया जाना एक उपाय हो सकता है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि किशोर दीपक कुमार मौर्या अपराध संख्या 394/2019 धारा 377, भा०द०स० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोतीपुर जनपद बहराइच तथा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बहराइच द्वारा दिनांक 30-10-2021 उसे किशोर घोषित किया जा चुका है तथा घटना के समय बालक की उम्र 16 वर्ष 03 माह 24 दिन निर्धारित किया गया हैं।

जिला प्रोवेंशन अधिकारी आख्यों से उल्लेख है कि किशोर का कोई पूर्व का अपचारिता का रिकार्ड जानकारी में नहीं आया है किशोर की भावनात्मक, शारीरिक बुद्धिमत्ता आयु के अनुरूप सामान्य है तथा उसकी सामाजिक स्थिति दयनीय है तथा किशोर में अनुशासन की कमी का अभाव है।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय परिषद इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो किशोर पुनः उसी गांव घर समाज में जायेगा 'व पुनः अपराधियों के सहचर में आ सकता है और जमानत पर रिहा किये जाने से किशोर, को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्थिति खतरे में पड़ने की सम्भावना है तथा किशोर के न्यायहित में किशोर की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करायी गयी। किशोर न्याय परिषद इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि किशोर का * प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार 'किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

किशोर दीपक कुमार मौर्या का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07-04-2023 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 394/2019 धारा-377. भा०द०स० व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोतीपुर जनपद बहराइच निरस्त किया जाता है तथा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा 10 क के अन्तर्गत गाठित मनौचिकित्सक / मनोवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालको की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की गयी तथा किशोर द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के पश्चात किशोर दीपक कुमार मौर्या का व्यस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा मामले के विचारण व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तर्गत किया जाये।"

4. Vide order under challenge dated 18.01.2024 passed by learned Special Judge, POCSO Act, Lucknow (in short "Appellate Court") in Criminal Appeal No. 48/2023 filed by the revisionist, the Appellate Court dismissed the appeal and affirmed the order dated 06.06.2023 passed by the JJB.

5. A perusal of the order in issue indicates that the issue related to observation made by the JJB that the trial of the revisionist be conducted by the Children Court was found justified by the Appellate Court. The relevant portion of the order dated 18.01.2023 reads as under :-

"दाण्डक अपील के निस्तारण के प्रयोजन से अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.06.2019 को समय करीब 09:00 बजे सुबह वादी मुकदमा का करीब 04 वर्षीय लड़का (पीड़ित) अपने दरवाजे पर खेल रहा था कि उसी समय उसके पड़ोस के दीपक पुत्र स्व० नरायन ने उसके उक्त लड़के को बुलाकर अपने घर के अन्दर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका उक्त लड़का रोता बिलखता घर वापस आया और उक्त घटना से अवगत कराया, जिसके गुदा से खून बह रहा था। पूरी जानकारी के बाद अपने उक्त लड़के को साथ लेकर सूचना को आया है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी। तहरीर प्रथम सूचक के आधार पर मुकदमा अपराध सं०- 394/2019, अन्तर्गत धारा - 377 भा०द०स० व

धारा- 5(g)/6 पॉक्सो ऐक्ट पंजीकृत किया गया, जिसमें बाल अपचारी/अपीलार्थी नामित है।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान सम्यक विवेचना विवेचक द्वारा मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 एवं पॉक्सो ऐक्ट की धारा- 3/4 के अन्तर्गत बाल अपचारी/अपीलकर्ता के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा दिनांक 19.08.2019 को संज्ञान लिया जा चुका है।

बाल अपचारी/अपीलकर्ता द्वारा किशोर अपचारी घोषित किये जाने वास्ते आवेदन पत्र अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की आयु निर्धारण तथा किशोर अपचारी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2021 को अपीलकर्ता/बाल अपचारी की उम्र बरवत्त घटना 16 वर्ष 03 माह 24 दिन की होना पाते हुए उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक किशोर घोषित किया गया। तदोपरान्त अपीलकर्ता/बाल अपचारी द्वारा किशोर न्याय परिषद के समक्ष जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-12 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 06.06.2023 को किशोर न्याय परिषद द्वारा निरस्त करते हुए विद्वान किशोर न्याय परिषद बहराइच द्वारा किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा-10 (क) के अन्तर्गत गठित मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा किशोर द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के बाद किशोर दीपक कुमार मौर्या का वयस्क के रूप में विचारण करने व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह वर्तमान दाण्डिक अपील बाल अपचारी/अपीलकर्ता दीपक कुमार मौर्या की ओर से योजित की गयी है।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 09.06.2019 समय 09:00 बजे के संबंध में दिनांक 09.06.2019 को ही समय 12:26 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 377 भा०द०सं० व 5 (g)/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें बाल अपचारी/अपीलकर्ता द्वारा प्रथम सूचक के नाबालिग लड़के (पीड़ित) के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म (अप्राकृतिक मैथुन) किया जाना कहा गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पॉक्सो ऐक्ट की धारा-5 (g)/6 का विलोपन करके धारा-3/4 पॉक्सो ऐक्ट की वृद्धि की गई है। घटना के समय बाल अपचारी/अपीलकर्ता की उम्र 16 वर्ष 03 माह 24 दिन अपीलीय न्यायालय द्वारा पायी गयी तथा उक्त आदेश दिनांकित 30.10.2021 में अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा- 15 किशोर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार उसे मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम पाते हुये बाल अपचारी दीपक कुमार मौर्या का विचारण किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

9- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 की धारा-10 (क) में यह परिभाषित किया गया कि बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण-

(i) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है; यदि नहीं तो बोर्ड, अधिनियम की धारा-14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(ii) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड, मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता नेक बोर्ड ले सकता हो या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता है।

(iii) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(iv) जहाँ बोर्ड, अधिनियम की धारा-15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा सम्यक रूपेण विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के अनुरूप विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें

किसी प्रकार की विधिक एवं तात्विक अनियमितता नहीं कारित की गयी है। इसलिये उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.06.2023 जिसमें किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 की धारा-10 (क) के अन्तर्गत गठित प्रतिलिपिमनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक कमेटी के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा किशोर द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाही के पश्चात् किशोर दीपक कुमार मौर्या का वयस्क के रूप में पायालय व विचारण करने व अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली बालक न्यायालय को अन्तर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है, तनुसार पुष्ट होने योग्य है तथा प्रस्तुत उपरोक्त अपील निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बाल अपचारी / अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या- 48/2023 दीपक कुमार मौर्या प्रति राज्य उ०प्र० आदि अपास्त की जाती है। बमुकदमा प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र सं० 14/12A/2023 सरकार बनाम दीपक कुमार मौर्या, मु०अ०सं० 394/2019, धारा 377 भा०द०सं० व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में विद्वान किशोर न्याय परिषद, बहराइच द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.06.2023 पुष्ट किया जाता है।"

6. The aforesaid orders have been challenged on the main ground that power in terms of Section 14 of the Act of 2015 can be exercised within a period of three months.
7. Learned AGA opposing the present revision stated that the period prescribed under Section 14 of the Act of 2015 is not mandatory in nature.
8. Considered the aforesaid and also perused the record.
9. On the aforesaid aspect of the case this Court took note of the observations made by the Hon'ble Apex Court in the case(s) of **Child in Conflict Law through his mother Vs. State of Karnataka and another; 2024 (8) SCC 473** and **State (Gvot. of NCT of Delhi) Vs. MS X & ORS; 2023 OnLine SC 5603**.
10. Upon due consideration of aforesaid, this Court finds no force in the instant revision. It is accordingly **dismissed**.

.

(Saurabh Lavania,J.)

March 19, 2026
Preeti